बिहार सरकार
शिक्षा विभाग,
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक.....

संख्या–8 / आ०5–03 / 2026..... / जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल द्वारा गठित आरोप पत्र के आलोक में जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 431 दिनांक 31.12.2025 द्वारा श्री अजय कुमार, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल, सुपौल–सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। श्री अजय कुमार, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल, सुपौल के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सुपौल की अध्यक्षता में दिनांक 31.12.2025 को आहूत बैठक में उपस्थित नहीं होने, योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने, कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरतने एवं उच्चाधिकारी के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

तदालोक में निदेशालय के पत्रांक 104 दिनांक 15.01.2026 के द्वारा श्री कुमार से बचाव अभिकथन की मांग की गयी, जिसके अनुपालन में उनके द्वारा पत्रांक 59 दिनांक 30.01.2026 के द्वारा बचाव अभिकथन समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा बचाव अभिकथन में प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में अंकित है कि आहूत बैठक की सूचना पूर्वाह्न 09:23 बजे WhatsApp पर ग्रुप में दी गयी थी, जो संज्ञान में ससमय नहीं आ सका। अपनी बुढ़ी माँ का इलाज कराने निमित्त दिनांक 29.12.2025 से 31.12.2025 तक आकस्मिक अवकाश का आवेदन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), सुपौल को दिनांक 26.12.2025 द्वारा समर्पित करवा दिया था, जिसकी प्रतिलिपि जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल को भी था। तथापि ससमय सूचना मिलती तो किसी भी परिस्थिति में मैं अथवा अपने प्रतिनिधि को अवश्य ही बैठक में भेजता। प्रखंड संसाधन केन्द्र पर कार्यों का भरमार, कर्मी की कमी, दो प्रखंड का प्रभार, अचानक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन एवं उक्त परिस्थिति के कारण ऐसी परिस्थिति आई। सभी कार्यों का ससमय निष्पादन करने का प्रयास किया जाता है। प्राप्त बचाव अभिकथन पर निदेशालय के पत्रांक 523 दिनांक 20.04.2026 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल से मंतव्य प्रतिवेदन की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 385 दिनांक 10.09.2026 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, बचाव अभिकथन एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी को आहूत बैठक ससमय संज्ञान में नहीं आने एवं अवकाश में रहने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। आरोपी पदाधिकारी दिनांक 30.04.2026 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

अतः श्री अजय कुमार, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल, सुपौल–सम्प्रति सेवानिवृत्त को उनके बचाव अभिकथन पर विचार करते हुए आरोप मुक्त किया जाता है एवं मामले को निस्तारित किया जाता है।

ह0/–

(कुमार निशांत विवेक)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक 8/आ०5–03/2026.....1176 पटना, दिनांक 10/11/2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, पेंशन शाखा (प्रशाखा–17), शिक्षा विभाग/जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), सुपौल/ श्री अजय कुमार, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल, सुपौल–सम्प्रति–सेवानिवृत्त, पत्राचार का पता–ग्राम–मोहनपुर, वार्ड नं०–39, डाकघर–बरियारपुर, थाना–सीतामढ़ी, जिला–सीतामढ़ी–843302 मो०नं०– 9006372112 एवं आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा